INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 4 | MAY - 2023

कटनी जिला में अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन

फूलचन्द कोरी[1] , डॉ. एस.एम. प्रजापति[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]सहायक प्राध्यापक भूगोल,शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार, जिला शहडोल (म.प्र.)

सारांश –

जिले के अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए इनके जीवन में गुणात्मक विकास करना अनिवार्य है। भारत का संविधान अनुसूचित जातियों को वैधानिक सुरक्षा और संरक्षण उपलब्ध करता है जिससे इनकी सामाजिक व आर्थिक निर्योग्यताएं दूर किया जा सके और इनके विभिन्न अधिकारों को प्रोत्साहन प्रदान हो सके। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास/प्रगति के लिए भिन्न–भिन्न कार्यक्रम संचालित किया गया है। ये सम्पूर्ण प्रयत्न अनुसूचित जातियों के प्रगति के प्रयत्न के स्वरूप माना जाता है। कटनी जिले के अनुसूचित जातियों के हितों की कानूनी और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से सुरक्षा और विकास की क्रियाकलापों को बढ़ावा देना ताकि अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर उच्च बन सके।

मुख्य शब्द – कटनी जिला, अनुसूचित जाति, संविधान एवं सामाजिक–आर्थिक।

प्रस्तावना –

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिले में अनुसूचित जातियों के विकास की विभिन्न दशाओं के अतिरिक्त भिन्न–भिन्न दृष्टि स्वीकृत किये गये हैं और इनके अनुरूप ही नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन की गई। आजादी से पहले जिले में अनुसूचित जातियों के विकास के दो मुख्य दृष्टिकोण प्रथक्करण और सात्मीकरण थे। औपनिवेशिक काल में उनके उन्नति के प्रति ब्रिटिश शासन का प्रारम्भिक दृष्टिकोण पृथक्करण की नीति पर निर्भर था। अनुसूचित जातियों को समाज की प्रमुख भाग से अलग करने के पीछे दो प्रमुख कारक इन्हें पृथक–पृथक रखकर शासन करना काफी सरल था। विविध अवसरों पर जिले के भिन्न–भिन्न भागों में इन जातियों के माध्यम से किया जाने वाले विरोध और गतिविधियों के आधार पर ब्रिटिश शासन इनके शक्ति क्षमता से भलीभांति अवगत थे, इसलिए ये इस जाति वर्ग को अलग रखना चाहते थे। पृथक्करण के पीछे द्वितीय मुख्य कारक इन्हें अलग रखकर बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जा सके, जिससे अनुसूचित जातियों के परम्परा, विशिष्टता, सहज जीवन शैली और अस्मिता को बचाया जा सके।

भारतीय संविधान की धारा 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राज्य के कमजोर वर्गों विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों को ध्यान केन्द्रित कर और सामाजिक अन्याय तथा सम्पूर्ण तरह के शोषण से संरक्षित रखेगा। धारा 146 के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जिले में भिन्न–भिन्न मंत्रियों की नियुक्ति का नियम

बनायी गयी। धारा 244 के तहत अनुसूचित जातियों के भूभागों में प्रशासन और धारा 275 के तहत भारत सरकार द्वारा यहां विशिष्ट आर्थिक अनुदान की प्रणाली निर्मित की गयी। धारा 330, 332 और 337 द्वारा अनुसूचित जातियों के लोकसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए विशिष्ट आरक्षण की व्यवस्था किया गया। धारा 335 के आधार पर इन जातियों को शासकीय सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान की गयी है। धारा 339 द्वारा जिले के अनुसूचित जातीय, भूखण्डों और 342 के तहत यह नियम निर्मित किये गये हैं कि राज्य के राज्यपाल से विचार–विमर्श लेकर राष्ट्रपति इनके हेतु विशिष्ट कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। धारा 275 द्वारा इन्हें कल्याण और उन्नति/प्रगति के लिए आर्थिक अनुदान की सुरक्षा मुहैया करवायी गई है।

विश्लेषण –

अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कटनी जिले में निवासरत अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्तर का मूल्यांकन करना शोध अध्ययन हेतु आवश्यक है। सामाजिक परिवेश में एक व्यक्ति का समाज के अन्य दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक सम्बन्धों का समावेश होता है जिनके अंतर्गत व्यक्ति अपने ही समाज के अन्य दूसरे व्यक्तियों से गोत्र, उपजाति एवं जाति इत्यादि के आधार पर सम्बन्धों का निर्माण करता है। कटनी जिले की अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्तर को समझने हेतु इनकी जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी, परिवार एवं अर्न्तजातीय सम्बन्धों का उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसका अध्ययन हम निम्नानुसार कर सकते हैं –

जाति –

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज अनेक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभक्त रहा है चूंकि शोधकर्ता का अध्ययन केवल अनुसूचित जातियों तक ही सीमित है, अतः शोध अध्ययन में केवल इसी जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के मूल्यांकन पर केन्द्रित होगा। इस दृष्टि से कटनी जिले में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत चमार, कोहार, राजभर, बागरी, होलिया, चदार, बागरी एवं नट इत्यादि निवास कर रही है। इस प्रकार उक्त अनुसूचित जातियों को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है और इस जाति वर्ग की अपनी विशिष्ट परम्परायें रही है।

उपजाति –

जिले के अनुसूचित जातियों के प्रौढ़ व्यक्तियों से साक्षात्कार, अवलोकन एवं सर्वेक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ है कि यह जातियां अनेक उपजातियों में विभक्त रही है, आज कटनी जिले के अनुसूचित जातियों में बागरी, कोरी, खटीक, कुम्हार, पासी एवं धोबी इत्यादि वर्गों में विभक्त है जिन्हें अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। जबलपुर सम्भाग के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी जातियां निवास कर रही है, कटनी जिले के विकासखण्डों में उक्त जातियां भी निवास कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

गोत्र –

जिले की अनुसूचित जातियों में भी विभिन्न गोत्रों के लोग निवास कर रहे हैं और प्रत्येक गोत्र के सदस्य स्वयं के एक ही पूर्वज विशेष के वंशज मानते हैं, जो आपसी सम्बन्धों प्रत्येक साक्ष्य अपने को भाई–भाई के रूप मानते हैं, वास्तव में यह एक ऐसा लघु समूह होता है, जिसमें आपसी भाई–चारे, अपनत्व एवं सहयोग की प्रबल भावना विद्यमान होती है।

रिश्तेदारी/नातेदारी –

जिले की अनुसूचित जातियों में नातेदारी/रिस्तेदारी को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है –

- रक्त सम्बन्धी
- विवाह सम्बन्धी
- गोत्र सम्बन्धी
- परिवार सम्बन्धी

इस प्रकार कटनी जिले की अनुसूचित जातियों में नातेदारी/ रिश्तेदारी को समझने हेतु निम्न सारणी क्रमांक 1 में सम्बन्धित नातेदारी/रिश्तेदारी के शब्द, सम्बोधन के शब्द एवं उल्लेखनीय शब्दों को संक्षिप्त स्वरूप में निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा रहा है –

सारणी क्रमांक 1
सम्बन्धित नातेदारी/रिश्तेदारी के शब्द,
सम्बोधन के शब्द एवं उल्लेखनीय शब्दों को संक्षिप्त स्वरूप में

क्र.	सम्बन्ध	रिश्तेदारी/ नातेदारी के शब्द	सम्बोधन के शब्द	उल्लेखनीय शब्द
1	पिता	दादा	दादा	दादा
2	माता	दाई	दाई	दाई
3	बड़ा भाई	भाऊ	बडु भाऊ	बड़े भाऊ
4	छोटा भाई	भाऊ	छोटू भाऊ	छोटे भाऊ
5	बड़ी बहन	बड़ी बाई	बड़ी बाई	बड़ी बाई
6	छोटी बहन	छोटी बाई	छोटी बाई	छोटी बाई
7	पिता के बडे भाई	बडे दादा	बड़े दादा	बड़े दादा
8	पिता के छोटे भाई	छोटे दादा	छोटे दादा	छोटे दादा
9	पुत्र की पत्नी	बहुरी	बहू	ब्हू
10	पुत्री की साली	बहुरी बाई	बहुरी बाई	बहुरी बाई

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण

परिवार –

समाज के अन्य जातियों की भांति अनुसूचित जातियों में भी परिवार का स्वरूप पितृ वंशीय, पितृ सत्तात्मक एवं पितृ निवास मुख्यतः स्थानीय होता है, इस जाति वर्ग में भी पूर्व से संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था, लेकिन आज अनुसूचित जातियों में भी एकाकी परिवार का प्रचलन आधुनिकता को देखते हुए तेजी से बढ़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार में पिता ही परिवार का मुख्य/मुखिया के दायित्वों का निर्वहन करता था और ऐसे परिवार में सभी सदस्य अपने बजुर्गों का सम्मान व आदर करते थे और उनकी समझाइश व सलाहों पर ही कार्यों को किया करते थे, लेकिन आज अधिकांश व्यक्ति विवाह के पश्चात एक दो संतानों की प्राप्ति के पश्चात अपने भाई/कुनबे से अलग होकर एकाकी जीवन जीने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और पैतृक सम्पत्ति का भी बंटवारा होने लगा है। इस दृष्टि से कटनी जिले के विकासखण्डों से न्यादर्श प्रविधि की विधि सविचार के माध्यम से कुल 300 व्यक्तियों/परिवारों का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सर्वेक्षण कर परिवार के स्वरूप से सम्बन्धित तथ्यों/समंकों को प्राथमिक स्तर पर संकलित कर सारणी क्रमांक 2 में प्रस्तुत कर औसत माध्य द्वारा मूल्यांकन कर अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्तर के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का वास्तविक/यथार्थ आंकलन किया गया है, जो क्रमशःइस प्रकार है –

सारणी क्रमांक 2
अनुसूचित जातियों के परिवारों का स्वरूप

क्र.	अनुसूचित जातियों के परिवारों का स्वरूप	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	63	21.00
2	एकाकी परिवार	237	79.00
	कुल योग	300	100.00

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि जिले की अनुसूचित जातियों के एकाकी परिवारों के स्वरूप में तेजी से विस्तार हुआ है, जो सर्वेक्षित कुल 300 व्यक्तियों में से 237 अनुसूचित जातियों के लोगों ने स्पष्ट किया है कि उनके परिवार का स्वरूप एकाकी है, जिनका प्रतिशत 79.00 है और सम्पूर्ण में से केवल 63 लोगों ने बतलाया है कि वे अभी भी संयुक्त परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका प्रतिशत 21.00 है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में भी समाज की अन्य जातियों का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वे भी आज एकाकी परिवार के रूप में जीवन व्यतीत करने की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

कटनी जिले की अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के उपरांत शोध कार्य में यथार्थता का बोध कराने की दृष्टि से जिले की अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का मूल्यांकन करने हेतु इन्हें निम्न उपशीर्षकों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है–

(1) मूल्यांकन का आधार –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत कटनी जिले की अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए सम्बन्धित तथ्यों/घटकों से प्राथमिक समंकों को संकलन किया गया है। सामाजिक शोध के अन्तर्गत मूल्यांकन सापेक्षिक रूप में एक नूतन प्रविधि के रूप में उदित हो रही है जिसका उपयोग मापन की इकाई/घटना को प्राचीनतम परीक्षणों एवं परीक्षाओं की तुलना में अत्यन्त ही विस्तृत स्वरूप में व्यक्त करने हेतु किया जाता है। वास्तव में मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि होती है, जो सभी दशाओं में सुस्पष्ट होनी चाहिए ओर इसका आधार मापने की क्रियाविधि होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी नितान्त आवश्यक होता है कि मूल्यांकन का स्तर शोध अध्ययन के अनुरूप होनी चाहिए और इसके साथ ही इसका वैध होना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना शोध अध्ययन की वास्तविकता से होती है। सामाजिक विज्ञान में शोध विधि का आशय उस प्रविधि से है जिसके माध्यम से शोधकर्ता उत्तरदाताओं के ज्ञान एवं उनके स्वभाव/व्यवहार में हुए बदलावों और हितग्राहियों के व्यक्तिगत विशेषताओं का भी मूल्यांकन करता है। शोध अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरदाताओं के सम्पूर्ण व्यावहारिक बदलावों का किसी एक यथार्थ प्रविधि द्वारा ही केवल मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अपितु मूल्यांकन करने के लिए अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल्यांकन करने के लिए अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकीय विधियों से परीक्षण एवं विश्लेषण इत्यादि का प्रयोग किया गया है। कटनी जिले के विकासखण्डों में निवासरत अनुसूचित जातियों में से कुल 300 व्यक्तियों/परिवार के सदस्यों/मुखिया का दैव निदर्शन की उपविधि सविचार द्वारा चयन कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण एवं अवलोकन कर प्राथमिक स्तर पर समंकों का संकलन किया गया है, जिनको सभी लोगों के समर्थन के योग्य बनाने की दृष्टि से उनका वर्गीकरण कर, सारणीबद्ध कर औसत माध्य के माध्यम से परीक्षण कर मूल्यांकन किया गया है। अतएव शोध अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत अध्ययन में मूल्यांकन की उपर्युक्त विधियों का प्रयोग किया गया है, ताकि जिले की अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन वास्तविक रूप में किया जा सके।

(2) सामाजिक मूल्यांकन –

यह अनेक सामाजिक घटनाओं को मापने का एक ऐसा पैमाना मापक है जो किसी घटना विशेष के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्यांकन से प्रत्येक व्यक्ति/समाज के वातावरण एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक मूल्यांकन किसी समाज का विशेष स्वरूप प्रदर्शित करता है और इन्हीं सामाजिक मूल्यों/स्वरूपों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति, अवनति अथवा परिवर्तन की दशा का आकलन करते हैं। इन्हीं के आधार पर उस समाज विशेष की क्रियाएं भी निर्धारित व सुनिश्चत की जाती है और इससे समाज का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है। सामाजिक मूल्यांकन के अभाव में हम किसी समाज के विकास की कल्पना कदापि नहीं कर सकते हैं और न ही भविष्य के लिए प्रगतिशील क्रियाओं का निर्धारण ही कर सकते हैं। सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि समाज में कौन सी वस्तु/क्रिया अच्छी या बुरी मानी जाती है। इस भाव से शोधार्थी ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक

स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंकों को संग्रहित कर निष्कर्ष प्राप्त करने का अकादमिक कार्य किया है। जिले की विकासखण्डों में निवासरत अनुसूचित जातियों में से कुल 300 व्यक्तियों का चयन कर सर्वेक्षणोपरांत तथ्यों के माध्यम से समग्र अनुसूचित जातियों की सामाजिक दशा का मूल्यांकन किया है। अतएव जिले की अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्तर का मूल्यांकन निम्नांकित उपशीर्षकों के माध्यम से किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है –

पारिवारिक मुखिया से सम्बन्धित –

जिले की अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्तर का मूल्यांकन करने हेतु प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षणोपरांत तथ्यों को सविचार विधि द्वारा चयनित कुल 300 व्यक्तियों से साक्षात्कार कर संकलित करके सारणी क्रमांक 3 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी क्रमांक 3
परिवार के मुखिया होने से सम्बन्धित

क्र.	उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के मुखिया है	239	79.67
2	परिवार के मुखिया नहीं है	61	20.33
	योग	300	100

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 3 को देखने से सुस्पष्ट होता है कि यह परिवार के मुखिया होने से सम्बन्धित है जिनमें शोधकर्ता सविचार प्रविधि के माध्यम से चयन कर प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्रश्न के प्रत्युत्तर प्राप्त किया है, जिनमें उत्तरदाताओं के विवरण के अंतर्गत सर्वप्रथम 239 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि परिवार के मुखिया है, जिनके प्रतिशत 79.67 है और 61 उत्तरदाताओं ने बताया परिवार के मुखिया नहीं है, जिनके प्रतिशत 20.33 है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिले की सर्वाधिक चयनित उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के मुखिया हैं। इस जाति वर्ग के परिवार में एक मुखिया है जो परिवार के सभी सदस्यों पर अपना नियंत्रण रखा है। परिवार के सदस्य मुखिया के आदेशों के अनुरूप ही अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मुखिया को परिवार के सभी व्यक्तियों द्वारा सम्मान किया जाता है। परिवार में सबसे बड़े सदस्य को मुखिया बनाने का प्रचलन इस जाति वर्ग में विद्यमान है।

(3) आर्थिक मूल्यांकन –

आर्थिक मूल्यांकन का आशय किसी व्यक्ति, संस्था या समाज के आर्थिक क्रियाकलापों आदि का उनके जीवन, व्यावसायिक जीवन या सामाजिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले अनुकूल/सकारात्मक प्रभावों से है, अर्थात् किसी कार्य की गतिविधियों के विस्तार/लाभान्वित को मूल्यांकित करना आर्थिक मूल्यांकन कहा जायेगा। उसी दृष्टिकोण से शोधकर्ता ने जिले में निवास कर रही अनुसूचित जातियों के आर्थिक मूल्यांकन को केन्द्र में रखकर उनकी सामाजिक क्रियाओं में पुरातन समय से चली आ रही विचारधाराओं/मानकों आदि में परिवर्तन को आर्थिक पहलू मानते हुए उनमें समय के साथ बदलाव हुए हैं अथवा नहीं, का आर्थिक मूल्यांकन करने हेतु निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखकर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है जो क्रमशः इस प्रकार है –

अनुसूचित जातियों की मासिक आय –

कटनी जिला के अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्तर का मूल्यांकन करने हेतु जिले के विकासखण्डों से चयनित कुल 300 व्यक्तियों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा उनकी मासिक आय (हजार रूपयों में) से सम्बन्धित आंकड़ो को सारणी क्रमांक 4 में प्रस्तुत कर, विश्लेषणात्मक अध्ययन कर उनकी भौतिक दशा का आकलन किया गया है, जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 4
अनुसूचित जातियों की मासिक आय का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	10,000–20,000 रूपयों के मध्य	78	26.00
2	20,000–30,000 रूपयों के मध्य	143	47.67
3	30,000 रूपये से अधिक	79	26.33
	योग	300	100

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 4 को देखने से सुस्पष्ट होता है कि यह अनुसूचित जातियों की मासिक आय के विवरण से सम्बन्धित है, जिनमें 78 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि उनकी मासिक आय 10 हजार रूपये से 20 हजार रूपये के बीच है, जिनकी प्रतिशत 26.00 है, 143 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि उनकी मासिक आय 20 हजार से 30 हजार रूपये के बीच है, जिनके प्रतिशत 47.67 है और 79 उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी मासिक आय 30 हजार रूपये से अत्यधिक है, जिनके प्रतिशत 26.33 है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कटनी जिले के सर्वाधिक चयनित उत्तरदाताओं ने बताया कि मासिक आय बीस हजार से तीस हजार के मध्य है। इस जाति वर्ग के व्यक्ति मजदूरी कर अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। जिले में आज इसकी दशा पहले जैसी नहीं है क्योंकि पति व पत्नी दोनों किसी न किसी उद्यम से संलग्न हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में आज काफी अच्छा है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक विकास से आशय सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया से है। अतएव सामाजिक–आर्थिक विकास से तात्पर्य प्रायः एक राज्य या क्षेत्र विशेष में जो मानव अनुकूल सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, उन्हें प्रायः विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, अपितु विकास की अवधारणा को अनेक संदर्भो, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, भाषा, साहित्य, भौगोलिक पर्यावरण इत्यादि में भिन्न–भिन्न तरीकों से उल्लेखित/अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में विकास से तात्पर्य उचित शिक्षा, कौशल, विकास, आय वृद्धि एवं रोजगार द्वारा मनुष्यों के जीवन शैली में यथासंभव सुधार से है और यह सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आर्थिक व सामाजिक बदलावों की एक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक विकास सामाजिक परिवेश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो सकल घरेलू उत्पादन, मानव जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं रोजगार के स्तरों अथवा संकेतकों के रूप में मापा जाता है। इन दोनों के समेकित स्वरूप को और व्यापक स्तर पर समझने हेतु इन्हें अलग–अलग रूपो में भी स्पष्ट करना अति आवश्यक होगा, अतएव मानवीय जीवन में सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामाजिक निकाओं/संस्थाओं में बदलाव कर समाज के स्वयं की अनिवार्यताओं को पूर्ण करने की क्षमता में सुधार करती है और इसका सम्बन्ध सशक्त मानवीय समाज के निर्माण में गुणात्मक बदलाव, समाज के व्यक्तियों का प्रगतिशील दृष्टिकोण व व्यवहार, प्रभावी प्रक्रियाओं और बेहतर प्रौद्योगिकी की तकनीक को अपनाते हैं।

संदर्भ –

1. मिश्रा, डॉ. जय प्रकाश – जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 60, वर्ष 2021.
2. Agrawal, S.K. - Principle of Demography, page 40-41
3. मिश्रा, डॉ. जय प्रकाश – जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 59, वर्ष 2021.